

प्रेस नोट

दिनांक 20.10.2026

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा कम्पोजिट विद्यालय पिपरा चौबे में हुई चोरी की घटना का खुलासा, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 07/08.09.2026 की रात्रि में कम्पोजिट विद्यालय पिपरा चौबे, शिक्षा क्षेत्र रुपईडीह, जनपद गोण्डा में अज्ञात चोर द्वारा विद्यालय के ऑफिस की खिड़की का सरिया काटकर दरवाजा तोड़ते हुए इन्वर्टर-बैटरी, 02 भारत गैस सिलेण्डर एवं 01 फर्माटा पंखा चोरी कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त विद्यालय के दो अन्य कमरों के ताले तोड़कर 01 बोरी चावल, कूकर तथा स्टील के गिलास, थाली, कटोरी आदि सामान भी चोरी किया गया था। घटना के संबंध में थाना खरगूपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही—

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना के अनावरण हेतु अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा हरैया रोड पर घेराबंदी कर अभियुक्त हनुमान वर्मा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही/कब्जे से चोरी का सामान एवं चोरी के सामान को बेचकर प्राप्त धनराशि में से शेष 2,160 रुपये बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01- हनुमान वर्मा पुत्र मनिराम वर्मा, निवासी ग्राम परसौहनी गौनेरिया, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 230/2026 धारा 305(ए)/331(2)/317(2) बीएनएस, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

- 01 अदद गैस सिलेण्डर
- 01 अदद फर्माटा पंखा
- 02 अदद स्टील की थाली
- 04 अदद स्टील के गिलास
- 2,160 रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 अनुज कुमार
2. हे0का0 दिलीप कुमार
3. का0 अंकित कुमार
4. का0 देवेन्द्र कुमार

मीडिया सेल. गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 20.10.2026

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुराचार एवं जान से मारने की धमकी देने के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत एक वादिनी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 18.10.2026 की रात्रि में उनकी लगभग 15 वर्षीय पुत्री रामलीला देखने करदा चौराहे पर गई थी। इसी दौरान आरोपी द्वारा बालिका का मुंह दबाकर झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया गया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

आज दिनांक 20.10.2026 को प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज मय टीम के साथ क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था एवं अपराध रोकथाम हेतु भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त झिलाही मोड़ के पास सड़क किनारे खड़ा है। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा भागने का प्रयास कर रहे अभियुक्त कमोज को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01- कमोज पुत्र आज्ञाराम, निवासी ग्राम धोबही चड़ौवा, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 389/2026, धारा 65(1), 351(3) बीएनएस-2023 एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश सिंह, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।
2. उ0नि0 वेदराम यादव।
3. हे0का0 राजकरन यादव।

मीडिया सेल. गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 20.10.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी गुलशन कुमार पुत्र श्रीनरायन निवासी ग्राम उधौरा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि उनकी बहन नीलू का विवाह दिनांक 29.04.2025 को जयप्रकाश यादव पुत्र अमरीश यादव निवासी ग्राम टेपरा दुल्लापुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति एवं उसकी माता द्वारा दहेज की मांग को लेकर नीलू को प्रताड़ित किया जाता था। दिनांक 18.10.2026 को फोन पर बातचीत के दौरान वादी को अपनी बहन के रोने तथा घर में लड़ाई-झगड़े की आवाज सुनाई दी। बाद में वादी अपनी बहन की ससुराल पहुंचा तो वह मृत अवस्था में मिली तथा उसके शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1001/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस व दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त जयप्रकाश यादव को आज दिनांक 20.10.2026 को उसके घर ग्राम टेपरा दुल्लापुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. जयप्रकाश यादव पुत्र अमरीश यादव निवासी ग्राम टेपरा दुल्लापुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 1001/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस व दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 संत शरण यादव
2. म0का0 रक्षा वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 20.10.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा मारपीट एवं धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 02.08.2026 को वादी बजरंगीबली पाण्डेय निवासी पूरे पाण्डे खरगूपुर, थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में तहरीर दी गई कि गाटा संख्या 3744 स्थित भूमि पर विपक्षीगण द्वारा लकड़ी एवं मड़हा रखकर कब्जा कर लिया गया था। विरोध करने पर विपक्षीगण द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज करते हुए लात-मुक्कों एवं लाठी-डण्डे से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

आज दिनांक 20-10-2026 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त जोखू उर्फ अकबर अली को ग्राम पाण्डेयपुरवा में सुनील यादव के घर के सामने से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. जोखू उर्फ अकबर अली पुत्र रज्जाक निवासी ग्राम पाण्डेयपुरवा, मौजा खरगूपुर, थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग—

01-मु0अ0सं0 753/2026, धारा 115(2), 119(1), 352, 351(3) बीएनएस, थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1.उ0नि0 संतशरण यादव

2.कां0 दुर्गेश पटेल

मीडिया सेल. गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 20.10.2026

नकली सोने-चांदी के आभूषणों को असली बताकर ठगी करने वाले गिरोह के 05 अभियुक्त गिरफ्तार, नकली आधार कार्ड, आभूषण व ठगी के रुपये बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी सुशील कुमार पुत्र चंद्रिका प्रसाद निवासी कटरा बाजार, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटरा बाजार पर तहरीर दी गई कि दिनांक 18.10.2026 को एक महिला, जिसने अपना नाम सरिता बताया था, उसकी ज्वेलरी की दुकान पर आई और बच्चे की तबीयत खराब होने व इलाज के लिए रुपये की आवश्यकता बताकर चांदी की करधनी के बदले ₹20,000 ले लिए। महिला के साथ आए व्यक्ति ने आधार कार्ड दिखाकर जमानत दी थी। बाद में करधनी की जांच करने पर वह नकली (गिल्ट) की पाई गई। तहरीर के आधार पर थाना कटरा बाजार पर मु0अ0सं0 258/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

आज दिनांक 20.10.2026 को थाना कटरा बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त कि घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर पहाड़ापुर बाजार से कटरा बाजार की ओर आने वाले मार्ग पर गन्ननपुरवा नहर मोड़ के पास से 05 अभियुक्तों रहमान अली, राजेश सिंह, अखिलेश सिंह, सरिता सिंह तथा माधुरी सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नकली आधार कार्ड एवं आभूषणों के फर्जी बिल तैयार करते थे। इसके बाद बच्चों अथवा पति के बीमार होने या अन्य परेशानी का बहाना बनाकर लोगों से सहानुभूति प्राप्त करते हुए नकली सोने-चांदी के आभूषणों को असली बताकर सुनारों, आमजन एवं राहगीरों से रुपये ठग लेते थे। ठगी से प्राप्त रुपये आपस में बांट लेते थे। अभियुक्तों ने कौड़िया बाजार एवं कटरा बाजार में भी इस प्रकार की घटनाएं करना बताया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. रहमान अली पुत्र सैयद अली, निवासी शाहपुर बाजार, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
2. राजेश सिंह पुत्र जंग बहादुर सिंह, निवासी बरदहा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
3. अखिलेश सिंह पुत्र जंग बहादुर सिंह, निवासी बरदहा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
4. सरिता सिंह पत्नी जितेंद्र सिंह, निवासी बरदहा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
5. माधुरी सिंह पत्नी स्वर्गीय भल्लर, निवासी नारायणपुर, लालापुरवा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 258/2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 317(2) बीएनएस, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

- * सफेद धातु की पायल/पाजेब सहित कुल 21 अदद आभूषण।
- * सफेद धातु की 01 अदद हसुली।

- * पीली धातु का 01 अदद मंगलसूत्र लॉकेट व ग्रे रंग की मोतियों की माला।
- * पीली धातु की 02 अदद नथुनी तथा 01 अदद नथुनी सहारा।
- * पीली धातु की 01 अदद अंगूठी।
- * कुल ₹14,110 नकद।
- * 02 अदद आधार कार्ड, जिनमें एक पर रहीम तथा दूसरे पर रहमान अली का नाम अंकित है।
- * 03 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 सौरभ कुमार, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा।
2. कांस्टेबल भरत चौहान।
3. कांस्टेबल संदीप कुमार।
4. कांस्टेबल पुनीत कुमार।
5. महिला आरक्षी साक्षी पटेल।
6. महिला आरक्षी अंजली राणा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस - नोट

आज दिनांक 20.10.2026 को जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर एवं थाना तरबगंज क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवको की डूबने की घटनाएं हुईं। थाना धानेपुर क्षेत्र के कुआनो नदी स्थित भैसहवा घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान ददन उम्र 35 वर्ष, प्रिंस उम्र 22 वर्ष, दीपक उम्र 23 वर्ष एवं उत्तम उम्र 22 वर्ष पानी में डूबने लगे, जिन्हें बचाने के प्रयास में तुलाराम शुक्ला उम्र करीब 50 वर्ष निवासी शिवबक्शपुरवा बिहुरी, थाना धानेपुर की गहरे पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। मृतक के शव की तलाश गोताखोरों द्वारा की जा रही है तथा SDRF/Flood PAC टीम को सूचित किया गया है।

वहीं थाना तरबगंज क्षेत्र के घोघरा नाला स्थित लक्ष्मणपुर घाट पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान अभिषेक तिवारी उम्र करीब 18 वर्ष, राम विलास प्रजापति उम्र करीब 20 वर्ष एवं सुमित प्रजापति उम्र करीब 20 वर्ष नाले में डूब गए, जिसमें सुमित प्रजापति को जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। शेष दोनों युवको की तलाश स्थानीय पुलिस बल, गोताखोरों एवं ग्रामीणों की सहायता से सघन सर्च ऑपरेशन चलाकर की जा रही है। दोनों स्थानों पर पुलिस बल/अधिकारीगण मौजूद हैं तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था कायम है।